न्यायालय एम0ए0सी0पी0/जिला जज अल्मोड़ा।

(एम0ए0सी0टी0 वाद सं0–23 सन् 2021)

प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0– 43 सन् 2022

श्रीमती मंजू देवी व अन्य

बनाम

यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

26.7.2022

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या 3ग

प्रार्थना–पत्र 3ग1/1 पर आवेदिक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज बृजवाल को सुना गया व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 3ग1 आवेदिका द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद सं0–23 सन् 2021 श्रीमती मंजू देवी व अन्य बनाम उमेश कुमार व अन्य में राष्ट्रीय लोक अदालत में पारित आदेश दिनांकित 14.05.2022 के अनुरूप अधिकरण द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी को रू0 10, 75,000/–प्रतिकर के रूप में याचीगण को भुगतान करने हेतु आदेश पारित किया गया था। उक्त धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप मेंबीमा कम्पनी के द्वारा इस न्यायालय में जमा कर दी गई है। मामले में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। प्रार्थिनी उक्त प्रतिकर की धनराशि में से रूपये 1,50,000/––1,50,000/– की धनरशि अपने नाबालिग पुत्रगण मा0 आशीष एवं मा0 संगम कुमार के नाम उनके बालिग होने तक एफ0डी0आर0 के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना चाहती है तथा शेष धनराशि मु0 7,75,000/– को स्वयं अपने नाम मय ब्याज के प्राप्त करना चाहती है।

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवेदिका मंजू देवी द्वारा अपना शपथ–पत्र 4ग, अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि 6ग/2,

सुलहनामा 6ग/3, तथा अपने आधार कार्ड की प्रति 7ग दाखिल किये गये हैं।

कार्यालय आख्या के अवलोकन से दर्शित होता है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद सं0–23 सन् 2021, श्रीमती मंजू देवी व अन्य बनाम उमेश कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 14.05.2022 के अनुरूप रूपये 1075,000/– की एफ0डी0आर0 सं0–689045110008190 मुब0 10,75,000/– दो तालक में सुरक्षित जमा भुगतान हेतु उपलब्ध है। वर्तमान मामले में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। तदनुसार निम्नलिखित शर्तों के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 3ग1/1 स्वीकार किया जाता है।

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद सं0–23 सन् 2021, श्रीमती मंजू देवी व अन्य बनाम उमेश कुमार व अन्य में बनाई गई एफ0डी0आर0 सं0–689045110008190 मुब0 10,75,000/–रूपये की धनराशि में से मुब0 2,00,000/–रूपये, प्रत्येक, (रूपये दो लाख, प्रत्येक) प्रार्थिनी के नाबालिग पुत्रगण मास्टर आशीष एवं मास्टर संगम कुमार के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके बालिग होने तक एफ0डी0आर0 के रूप में जमा किये जायेंगे तथा शेष धनराशि मुब0 6,75,000/–रूपये अद्यतन ब्याज सहित उचित सत्यापन के बाद आवेदिका श्रीमती मंजू देवी के पक्ष में अवमुक्त की जाये।

संबंधित बैंक को इस संदर्भ में यह निर्देश जारी किया जाये कि वह शेष धनराशि मुब0 6,75,000/– रूपये (छः लाख पिच्हत्तर हजार रूपये) अद्यतन ब्याज सहित आवेदिका श्रीमती मंजू देवी के बैंक खाता संख्या– 40310061587, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रेहर, बिजनौर में अदा करे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को कोई भुगतान नगद नहीं किया जाएगा।

तदनुसार प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मलिक मज़हर सुलतान)
एम0ए0सी0पी0 / जिला जज,
अल्मोड़ा।